Rajasthan Removes Two-Child Norm for Panchayat & Urban Local Body Elections

The Rajasthan Government has done away with the eligibility criterion of two children that has been there for many years for contesting Panchayat and Urban Local Body elections. State Election Commission, after the notification in March 2026, has instructed all the district election authorities to remove the old promise regarding two-child limit. Introduced nearly three decades ago to promote population control, the restriction had disqualified individuals with more than two children from contesting local body elections. With this amendment, all eligible citizens, irrespective of the number of children they have, can now contest Panchayat and municipal elections, marking a significant change in Rajasthan's local governance framework.

Key Highlights

Particular	Details
State	Rajasthan
Change	Two-child norm removed for local body elections
Applicable To	Panchayat & Urban Local Body Elections
Amendment Implemented	March 2026
Issued By	Rajasthan State Election Commission

RASonly

Previous Rule	Candidates with more than two children were ineligible

Why It Is Important?

The amendment increases citizens' voice in local affairs, by opening up to more citizens the right to contest local elections. It also represents a major shift in Rajasthan's electoral policy after nearly 30 years and is important from the perspective of governance reforms and state polity.

Significance

- Ends the long-standing two-child eligibility restriction.
- Increases the pool of eligible candidates for local elections.
- Reflects a policy shift in Rajasthan's local governance laws.
- Significant for the Politics and governance examinations of Rajasthan.

Conclusion

The abolition of the two-child norm is an important electoral reform in Rajasthan. It increases democratic participation and adapts local election laws to the state's new governance system.

MCQs

1. The two-child eligibility condition was removed for which elections in Rajasthan?
A. Lok Sabha Elections
B. Assembly Elections
C. Panchayat and Urban Local Body Elections
D. Rajya Sabha Elections

Answer: C. Panchayat and Urban Local Body Elections

2. The revised law came into effect through a notification issued in:
A. January 2025
B. March 2026
C. July 2026
D. November 2026

Answer: B. March 2026

3. Which authority issued directions to implement the revised rule?
A. Election Commission of India
B. Rajasthan Public Service Commission

RASonly

C. Rajasthan State Election Commission
D. Department of Personnel

Answer: C. Rajasthan State Election Commission

4. The earlier two-child norm was originally introduced with the objective of:
A. Increasing voter turnout
B. Population control
C. Reservation reforms
D. Electoral funding reforms

Answer: B. Population control

राजस्थान में पंचायत एवं शहरी निकाय चुनावों के लिए दो-संतान नियम समाप्त

राजस्थान सरकार ने पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू लंबे समय से चले आ रहे दो-संतान पात्रता नियम को समाप्त कर दिया है। मार्च 2026 में जारी अधिसूचना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पुराने दो-संतान संबंधी अंडरटेकिंग को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। लगभग तीन दशक पहले जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किए गए इस नियम के तहत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे। अब इस संशोधन के बाद सभी पात्र नागरिक, चाहे उनकी संतानों की संख्या कितनी भी हो, पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। यह राजस्थान की स्थानीय शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

मुख्य बिंदु

विवरण	जानकारी
राज्य	राजस्थान
बदलाव	स्थानीय निकाय चुनावों में दो-संतान नियम समाप्त
लागू चुनाव	पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव
संशोधन लागू	मार्च 2026
निर्देश जारी करने वाली संस्था	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
पूर्व नियम	दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे

RASonly

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

इस संशोधन से अधिक नागरिकों को स्थानीय चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी। लगभग 30 वर्षों बाद यह राजस्थान की चुनावी व्यवस्था में एक बड़ा नीतिगत बदलाव है और राज्य शासन एवं राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

महत्व

- लंबे समय से लागू दो-संतान पात्रता नियम समाप्त हुआ।
- स्थानीय चुनावों में पात्र उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी।
- राजस्थान के स्थानीय शासन कानूनों में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव।
- राजस्थान की राजनीति एवं शासन से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण।

निष्कर्ष

दो-संतान नियम को समाप्त करना राजस्थान की चुनावी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी का दायरा बढ़ेगा तथा स्थानीय चुनावों से जुड़े कानूनों को राज्य की नई शासन व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया है।

MCQs

1. राजस्थान में दो-संतान पात्रता नियम किस चुनाव के लिए समाप्त किया गया है**?**
A. लोकसभा चुनाव
B. विधानसभा चुनाव
C. पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव
D. राज्यसभा चुनाव

उत्तर**: C.** पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव

2. संशोधित कानून किस अधिसूचना के माध्यम से लागू हुआ**?**
A. जनवरी 2025
B. मार्च 2026
C. जुलाई 2026
D. नवंबर 2026

उत्तर**: B.** मार्च **2026**

3. संशोधित नियम को लागू करने के निर्देश किस संस्था ने जारी किए**?**
A. भारत निर्वाचन आयोग
B. राजस्थान लोक सेवा आयोग
C. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
D. कार्मिक विभाग

उत्तर**: C.** राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

4. पूर्व में लागू दो-संतान नियम का मुख्य उद्देश्य क्या था**?**
A. मतदाता प्रतिशत बढ़ाना

RASonly

B. जनसंख्या नियंत्रण
C. आरक्षण सुधार
D. चुनावी वित्तपोषण सुधार

उत्तर: **B.** जनसंख्या नियंत्रण

Jaipur Metro Phase-2: Rajasthan Begins Major Urban Transport Expansion

The Government of Rajasthan has officially launched the Jaipur Metro Phase-2 Project with the foundation stone (Bhoomi Pujan) laid by Chief Minister Bhajan Lal Sharma. The project is a major step towards enhancing the public transportation system in Jaipur and providing better connectivity within the city.

Key Highlights of Jaipur Metro Phase-2

Particular	Details
Project Name	Jaipur Metro Phase-2
Route	Prahladpura to Todi Mod

Total Corridor Length	41 km
Total Proposed Stations	36
Foundation Stone Laid By	Chief Minister Bhajan Lal Sharma
Launch Venue	Metro Yard, Sitapura (Near Bambala Puliya), Jaipur
Zone 1	Prahladpura to Pinjrapole Gaushala (12 km)
Zone 1 Cost	₹918 crore
Zone 2	Pinjrapole Gaushala to Jawahar Circle Road (Airport) – 3 km
Zone 2 Type	Fully Underground with 2 Metro Stations
Zone 2 Cost	₹1,160 crore
Major Areas Covered	Sitapura Industrial Area, VKIA, Jaipur International Airport, Tonk Road, SMS Hospital, SMS Stadium, Ambabari, Vidhyadhar Nagar
Connectivity	Integrated with Jaipur Metro Phase-1 through interchange and feeder services
Key Objective	Expand metro connectivity, reduce traffic congestion, improve urban mobility, and promote sustainable transport

Project Overview

The 41-km Jaipur Metro Phase-2 will be built in several construction sites. The construction for the first zone, covering Prahladpura to Pinjrapole Gaushala (12 km), will already commence, and it would cost ₹918 crore. The second is an underground corridor from Pinjrapole Gaushala to Jawahar Circle Road (Airport) of length 3 km with two underground metro stations in the line which is to be constructed at an estimated cost of ₹1160 crore. Tendering for this section has been completed and work is anticipated for the rest of the zones.

The roadway will link to important areas such as Sitapura Industrial Area, Vishwakarma Industrial Area (VKIA), Jaipur International Airport, Tonk Road, SMS Hospital, SMS Stadium, Ambabari, and Vidhyadhar Nagar. It will also have an interconnection between stations with the existing Jaipur Metro Phase-1 and feeder services, which will result in a city-wide metro system.

Significance of Jaipur Metro Phase-2

Jaipur Metro Phase-2 is expected to transform urban mobility by offering a faster, safer, and environmentally friendly mode of transportation. The project will contribute to the reduction of

RASonly

traffic congestion, carbon emissions, connectivity to industrial and commercial areas, and ease of access to healthcare, education and airport. It is also expected that it will help improve economic development as a result of making the residential and commercial areas more connected.

Conclusion

The Jaipur Metro Phase-2 launch is a significant milestone in modernizing urban transport in Rajasthan. The project will improve the ease of public transport, cut commuting time and help achieve sustainable urban development with a 41-km long corridor, 36 planned stations, underground connectivity with the airport and the seamless integration with the Metro Phase-1. It's a current affairs topic for Rajasthan Competitive Exam like RPSC, Rajasthan Police, RSSB, REET, and other Competitive Exam.

MCQs

1. Jaipur Metro Phase-2 will connect which two locations?

- A) Mansarovar to Badi Chaupar
- B) Prahladpura to Todi Mod
- C) Sanganer to Amer
- D) Vaishali Nagar to Chandpole

Answer: B) Prahladpura to Todi Mod

2. What is the total proposed length of Jaipur Metro Phase-2?

- A) 24 km
- B) 31 km
- C) 41 km
- D) 52 km

Answer: C) 41 km

3. How many metro stations are proposed under Jaipur Metro Phase-2?

- A) 24
- B) 30
- C) 36
- D) 42

Answer: C) 36

4. Which section of Jaipur Metro Phase-2 will be completely underground?

- A) Prahladpura to Pinjrapole Gaushala
- B) Mansarovar to Chandpole
- C) Pinjrapole Gaushala to Jawahar Circle Road (Airport)

RASonly

- D) Todi Mod to VKIA

Answer: C) Pinjrapole Gaushala to Jawahar Circle Road (Airport)

जयपुर मेट्रो फेज-2: राजस्थान में शहरी परिवहन विस्तार की नई शुरुआत

राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो फेज-**2** परियोजना की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परियोजना का भूमि पूजन किया। यह परियोजना जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जयपुर मेट्रो फेज-2 की प्रमुख विशेषताएं

विवरण	जानकारी
परियोजना का नाम	जयपुर मेट्रो फेज-2
मार्ग	प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़
कुल कॉरिडोर लंबाई	41 किमी
प्रस्तावित कुल स्टेशन	36
भूमि पूजन किया	मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
शुभारंभ स्थल	मेट्रो यार्ड, सीतापुरा (बम्बाला पुलिया के पास), जयपुर
जोन-1	प्रह्लादपुरा से पिंजरापोल गौशाला (12 किमी)
जोन-1 की लागत	₹918 करोड़
जोन-2	पिंजरापोल गौशाला से जवाहर सर्किल रोड (एयरपोर्ट) – 3 किमी
जोन-2 का प्रकार	पूर्णतः भूमिगत, 2 मेट्रो स्टेशन सहित
जोन-2 की लागत	₹1,160 करोड़
प्रमुख क्षेत्र	सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, वीकेआईए (VKIA), जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल, एसएमएस स्टेडियम, अंबाबाड़ी, विद्याधर नगर

RASonly

कनेक्टिविटी	इंटरचेंज और फीडर सेवाओं के माध्यम से जयपुर मेट्रो फेज-1 से जुड़ी होगी
मुख्य उद्देश्य	मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, यातायात जाम में कमी, शहरी गतिशीलता में सुधार और सतत परिवहन को बढ़ावा देना

परियोजना का अवलोकन

41 किमी लंबी जयपुर मेट्रो फेज**-2** परियोजना का निर्माण कई चरणों में किया जाएगा। पहले जोन में प्रह्लादपुरा से पिंजरापोल गौशाला **(12** किमी**)** तक का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी अनुमानित लागत **₹918** करोड़ है। दूसरे जोन में पिंजरापोल गौशाला से जवाहर सर्किल रोड (एयरपोर्ट) तक **3** किमी लंबा भूमिगत कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें दो भूमिगत मेट्रो स्टेशन होंगे। इस खंड की अनुमानित लागत **₹1,160** करोड़ है। इस हिस्से का टेंडर पूरा हो चुका है तथा शेष जोनों पर भी जल्द कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

यह मेट्रो कॉरिडोर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र **(VKIA)**, जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल, एसएमएस स्टेडियम, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेगा। साथ ही यह जयपुर मेट्रो फेज**-1** से इंटरचेंज स्टेशन और फीडर सेवाओं के माध्यम से जुड़कर पूरे शहर में एकीकृत मेट्रो नेटवर्क तैयार करेगा।

जयपुर मेट्रो फेज-2 का महत्व

जयपुर मेट्रो फेज-2 से शहर की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। यह परियोजना लोगों को तेज, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके माध्यम से यातायात जाम और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा संस्थानों और हवाई अड्डे तक पहुंच आसान होगी। यह परियोजना आर्थिक विकास को भी गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

निष्कर्ष

जयपुर मेट्रो फेज**-2** का शुभारंभ राजस्थान के शहरी परिवहन ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। **41** किमी लंबे कॉरिडोर, **36** प्रस्तावित स्टेशनों, एयरपोर्ट तक भूमिगत कनेक्टिविटी और मेट्रो फेज**-1** के साथ निर्बाध एकीकरण के माध्यम से यह परियोजना सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी बनाएगी, यात्रा समय कम करेगी और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देगी। यह **RPSC**, राजस्थान पुलिस, **RSSB**, **REET** तथा अन्य राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण समसामयिक विषय है।

MCQs

1. जयपुर मेट्रो फेज**-2** किन दो स्थानों को जोड़ेगा**?**
A) मानसरोवर से बड़ी चौपड़
B) प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़
C) सांगानेर से आमेर
D) वैशाली नगर से चांदपोल

उत्तर**: B)** प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़

RASonly

2. जयपुर मेट्रो फेज-**2** की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है**?**
A) 24 किमी
B) 31 किमी
C) 41 किमी
D) 52 किमी

उत्तर**: C) 41** किमी

3. जयपुर मेट्रो फेज-**2** के अंतर्गत कुल कितने मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं**?**
A) 24
B) 30
C) 36
D) 42

उत्तर**: C) 36**

4. जयपुर मेट्रो फेज-**2** का कौन-सा खंड पूरी तरह भूमिगत होगा**?**
A) प्रह्लादपुरा से पिंजरापोल गौशाला
B) मानसरोवर से चांदपोल
C) पिंजरापोल गौशाला से जवाहर सर्किल रोड (एयरपोर्ट)
D) टोडी मोड़ से वीकेआईए

उत्तर**: C)** पिंजरापोल गौशाला से जवाहर सर्किल रोड **(**एयरपोर्ट**)**

RASonly